राजस्थान–सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं
2, जल पथ,गाँधीनगर,जयपुर।

क्रमांकः– एफ 11 (3)/मो./नन्दघर/25000/MoU/ICDS/2021–22/56785-90 दिनांक 13/4/2022

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास,
दौसा, जयपुर, जोधपुर,
उदयपुर व बांसवाडा।

विषयः–आंगनबाडी केन्द्रों को नन्दघर के रूप में विकसित किये जाने के लिए वर्ष 2021–22 के प्रथम चरण में आंगनबाडी केन्द्रों का चिन्हिकरण कर कार्य पूर्ण करने तथा चिन्हिकरण के अन्तर्गत अधिक जीर्ण–क्षीर्ण भवनों की मरम्मत के लिए अनुमानित मरम्मत व्यय राशि के साथ उनकी लिस्टिंग की जाकर सूची से तत्काल अवगत कराने बाबत्।

प्रसंगः–निदेशालय का आदेश कमांक 39253–285 दिनांक 11.03.2022।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2021–22 की पालना में 25000 आंगनबाडी केन्द्रों को सीएसआर के अन्तर्गत अनिल अग्रवाल फाउण्डेशन (वेदान्ता) के माध्यम से नन्दघर के रूप में विकसित किये जाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में अनिल अग्रवाल फाउण्डेशन एवं महिला एवं बाल विकास के मध्य एमओयू दिनांक 08.02.2022 को किया जा चुका है।

एमओयू की कियान्विति के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 के प्रथम चरण में पांच जिलों यथा **दौसा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व बांसवाडा** के राजकीय विद्यालयों व किराये के भवन में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों को छोड़कर विभागीय भवनों, सामुदायिक भवनों व अन्य राजकीय भवनों में संचालित कमशः 325, 670, 1200, 1850 व 1375 कुल 5420 आंगनबाडी केन्द्रों का चिन्हिकरण वेदान्ता के प्रतिनिधि व बाल विकास परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक की संयुक्त समिति/दल द्वारा 15 दिवस के अन्दर किया जाएगा। इसके संबंध में आपको पूर्व में निदेशालय के आदेश कमांक 39253–285 दिनांक 11.03.2022 के द्वारा अवगत करा दिया गया है। इन चिन्हित आंगनबाडी केन्द्रों को नन्दघर के रूप में विकसित करने संबंधी कार्यवाही 04 माह की अवधी में पूर्ण करवायी जानी है।

अतः आपके स्तर से प्रत्येक परियोजना के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं वेदान्ता के प्रतिनिधि/वेदान्ता की ओर से नियुक्त की गयी कार्यकारी एजेंसी के सदस्यों की गठित कमेटी के द्वारा ही प्रथमतः चिन्हित उक्त पांच जिलों के आवंटित लक्ष्य अनुसार आंगनबाडी केन्द्रों की सूची से तत्काल अवगत करावें, जिससे की इनको नन्दघर के रूप में विकसित किये जाने संबंधी कार्यवाही वेदान्ता के माध्यम से शुरू किया जा सके।

जिले में चिन्हिकरण के अन्तर्गत अधिक जीर्ण–क्षीर्ण भवनों की मरम्मत के बाबत् अनुमानित मरम्मत व्यय राशि के साथ उनकी लिस्टिंग की जाकर सूची से अतिशीघ्र निदेशालय को अवगत कराया जाये। ताकि इनके मरम्मत कार्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के कन्वर्जेन्स से करवाये जाने संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(रामावतार मीणा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक :– एफ 11 (3)/मो./नन्दघर/25000/MoU/ICDS/2021–22/56791-814 दिनांक 18/4/2022

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नन्दघर, निदेशक एवं ग्रुप क्म्युनिकेशन, वेदान्ता लिमिटेड, 13वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, कनाट पैलेस, नई दिल्ली–110001।
5. जिला कलेक्टर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व बांसवाडा ।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, दौसा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व बांसवाडा।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, जिला दौसा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व बांसवाडा।
8. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, समस्त जिला दौसा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व बांसवाडा।

संयुक्त निदेशक (मो0)

ACP